सं.ई-13011/10/2017-ति.प्र.रि./हिंदी/

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

केन्द्रीय जल आयोग

(हिंदी अनुभाग)

906(द), सेवा भवन,
आर के पुरम, नई दिल्ली - 110 066
दिनांक 0/जून, 2019

विषय: 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर समय पर भिजवाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में उल्लेख है कि प्रत्येक तिमाही में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर भिजवाई जानी अपेक्षित होती है। उक्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट, इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में **11 जुलाई 2019** तक अवश्य भिजवाई जाए ताकि समेकित कर समय पर मंत्रालय को भिजवाई जा सके। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट को समेकित रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाएगा।

रिपोर्ट भरते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए:-

(क) धारा 3(3) के तहत सभी कागजात हिंदी और अंग्रेज़ी (द्विभाषी) में जारी किए जाते हैं।

(ख) राजभाषा नियम-5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में ही दिया जाता है।

(ग) राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार मूल पत्राचार का लक्ष्य 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के साथ 100% और 'ग' क्षेत्र के साथ 65% है।

(घ) राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य 75% है।

(ङ) पिछली तिमाही की तुलना में वर्तमान तिमाही के प्रतिशत में प्रगति आना चाहिए।

(च) आगामी तिमाही से तिमाही रिपोर्ट के साथ एक प्रमाण-पत्र (संलग्न) भी **अनिवार्यतः शाखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर सहित** केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के हिन्दी अनुभाग को भिजवाएं।

(छ) राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार मूल पत्राचार तथा टिप्पणी का लक्ष्य निम्नानुसार है:-

मूल पत्राचार			
क्र.सं.	**कार्यालय क्षेत्र**		**लक्ष्य प्रतिशत में**
1.	'क' क्षेत्र से	'क' क्षेत्र को	100%
		'ख' क्षेत्र को	100%
		'ग' क्षेत्र को	65%

टिप्पणी		
क्र.सं.	**कार्यालय क्षेत्र**	**लक्ष्य प्रतिशत में**
1.	'क' क्षेत्र में	**75 %**

अनुरोध है कि तिमाही रिपोर्ट **11 जुलाई, 2019** तक अनिवार्यतः हिंदी अनुभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: तिमाही रिपोर्ट की प्रोफ़ार्मा

भवदीया,

1/7/19

(रजिन्दर पाँल)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष सं. 26177250

सेवा में:-

1. निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय / जल आयोजन एवं परियोजना / अभिकल्प एवं अनुसंधान निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय)
2. सभी अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय)
3. उप निदेशक (एस एम डी) - **इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करवाए जाए।**

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव